GOVERNMENT OF RAJASTHAN
OFFICE OF ADDL. CHIEF SECRETARY, MEDICAL, HEALTH & FAMILY WELFARE

क्रमांक:पीएस/एसीएस/एमएण्डएच/2020/62 दिनांक: 06.03.2020

परिपत्र

जैसा कि आपको विदित है कि भारत में कोरोना वायरस (COVID-19) का प्रकोप तेजी से बढ रहा है एवं वर्तमान में राजस्थान राज्य में भी COVID-19 के 02 केस पाये गये है। उक्त बढते हुए प्रकोप की रोकथाम हेतु राज्य में विभिन्न गतिविधियां युद्ध स्तर पर संचालित की जा रही है।

आपके अधीन कार्यालयों में पदस्थापित कार्मिकों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करने हेतु बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग किया जा रहा है जो कि COVID-19 के प्रसार का कारक हो सकता है। साथ ही रोकथाम हेतु आवश्यक है कि समस्त राजकीय कार्यालयों (ग्रामीण/शहरी) में एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइट (1% Hypochlorite) के द्वारा दरवाजों/कुर्सियों/अलमारियों के हत्थों, मेज, सीढियों की रैलिंग, फर्श एवं अन्य संभावित मुख्य रूप से स्पर्श में आने वाली वस्तुओं/उपकरणों आदि पर दैनिक रूप से पोंछा (Mopping) लगवाते हुए विसंक्रमित (Disinfection) किया जावे।

अतः आपके अधीन समस्त संबंधितों को अग्रिम निर्देशों तक बॉयोमेट्रिक का उपयोग न करने एवं उक्त विसंक्रमण हेतु एक प्रतिशत हाइपोक्लोराइट (1% Hypochlorite) से दैनिक रूप से पोंछा (Mopping) करवाये जाने हेतु तुरन्त प्रभाव से निर्देशित करें।

06/03/20

(रोहित कुमार सिंह)
अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वा०

क्रमांकः– ए.पी.एस./ए.ड़ी./ड़ी.एल.बी./2020/579–783 **दिनांकः–18.03.2020**
प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिकाएँ, समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर तत्काल अवगत करावें।
02. उप निदेशक (क्षैत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।

(उज्जवल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख–3) विभाग

क्रमांकः 3(4)कार्मिक/ख–3/अवधाता/2016 पार्ट जयपुर, दिनांक 17.03.2020

विषयः–COVID-19 (कोरोना वायरस) के संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोकने के संबंध में शासन सचिवालय में कार्यरत कार्मिकों हेतु महत्त्वपूर्ण दिशानिर्देश।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा COVID-19 (कोरोना वायरस) को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

शासन सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को COVID-19 (कोरोना वायरस) से बचाव हेतु दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैः–

1. अपने कार्यस्थल को स्वच्छ रखे।
2. समस्त कार्मिक साबुन/हैण्डवॉश इत्यादि से नियमित रूप से और अच्छी तरह से हाथ धोयें अथवा हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। यथासंभव हाथ मिलाने से बचें।
3. किसी भी कार्मिक में जुकाम, खांसी, बुखार एवं समान लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें एवं कार्यालय से अवकाश पर रहें।
4. सर्दी, जुकाम एवं श्वसन संबंधी बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों से कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाये रखे। समूह में खडे न रहे।
5. खांसी अथवा छींक आने पर मुंह व नाक पर टिश्यू पेपर अथवा कोहनी मोड कर लगायें।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना कर COVID-19 (कोरोना वायरस) की रोकथाम हेतु आपका सहयोग प्रदान करें।

17/3/2020
(असलम शेर खान)
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– ए.पी.एस./ए.ड़ी./ड़ी.एल.बी./2020/ 784 – 988 **दिनांकः–** 18.03.2020

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिकाएँ, समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर तत्काल अवगत करावें।
02. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।

(उज्जवल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

Scanned with CamScanner

COVID-19
अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 17.03.2020

कोरोना संक्रमण (COVID-19) की रोकथाम ही इस बीमारी से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। इस हेतु यह आवश्यक है कि लोग आपस में मिलते समय सुरक्षित दूरी रखें व यथासंभव भीडभाड वाले स्थानों पर जाने से बचे। इसके द्वारा जो लोग बीमारी से संक्रमित है तथा जो बीमारी से संक्रमित नहीं है उनके मध्य बीमारी फैलने की दर को कम किया जा सकता है अथवा रोका जा सकता है। साथ ही मिलते समय आपस में दूरी बनाये रखने के प्रभावी क्रियान्वयन से समुदाय में इस बीमारी के फैलाव (Spread), अस्वस्थता (Morbidity), मृत्यु (Mortality) को कम किया जा सकता है, अथवा रोका जा सकता है। इस हेतु COVID-19 बीमारी के फैलने की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा निम्नानुसार एडवायजरी जारी की जाती है:–

1. आपस में मिलते समय हाथ मिलाना तथा गले लगने जैसे अभिवादनों से बचे, स्वच्छता तथा सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाये रखें।
2. कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रदेश के समस्त सार्वजनिक स्थलों (यथा पर्यटन स्थल, संग्रहालय, ऐतिहासिक स्मारक, किले, हटवाडे, पार्क, खेल मैदान, चिडियाघर, स्पा, अभ्यारण्य, सार्वजनिक मेले, स्वीमिंग पूल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र आदि) पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्र न हो। इस हेतु आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये है।
3. प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान दिनांक 30 मार्च, 2020 तक बन्द कर दिये गये है। विद्यार्थियों की परीक्षाओं को देखते हुए ऑन लाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जावे।
4. जिन संस्थानों में बोर्ड एवं वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, उनमें छात्रों के मध्य एक मीटर/सुरक्षित दूरी सुनिश्चित करने के बाद ही परीक्षा आयोजित की जावे।
5. निजी क्षेत्र के संगठन/नियोक्ता कर्मचारियों को यथा संभव घर से कार्य करने की अनुमति प्रदान करें।
6. बैठकों का आयोजन यथा संभव वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से किया जावे। साथ ही ऐसी बैठकें जिनमें बडी संख्या में प्रतिभागी शामिल हो, ऐसी बैठकों को यथा संभव पुर्ननिर्धारित करें।
7. रेस्टोरेन्ट अथवा होटल/ढाबों के प्रबन्धक यह सुनिश्चित करें कि बार–बार छूने वाली सतहों की सफ़ाई तथा हैंड वॉश प्रोटोकोल का पालन हो। साथ ही दो टेबलों के मध्य कम से कम एक मीटर दूरी/सुरक्षित दूरी का फ़ासला रखें एवं ग्राहकों को यथा सम्भव खुली हवा में बैठने के लिए प्रोत्साहित करें।
8. आमजन पूर्व नियोजित शादियों एवं समारोह में आगंतुकों की संख्या यथा संभव सीमित रखे।
9. सभी आयोजक ग़ैर आवश्यक सांस्कृतिक तथा सामाजिक समारोह को यथा संभव स्थगित रखें।

Scanned with CamScanner

10 स्थानीय अधिकारियों द्वारा खेल आयोजन तथा प्रतियोगिताओं के आयोजकों से संपर्क एवं संवाद स्थापित कर ऐसे होने वाले कार्यक्रमों को यथा संभव स्थगित करने हेतु अनुरोध किया जावे।

11 स्थानीय निकायों के चुने हुये जनप्रतिनिधि/अधिकारियों के द्वारा व्यापारी संघ तथा अन्य संगठनों के साथ संवाद स्थापित कर व्यवसायिक स्थल यथा सब्जी मण्डी, अनाज मण्डी, अन्य बाजारों में क्या करें व क्या नहीं करें का अभियान चलाया जावे, साथ ही यथा संभव इनका कार्य समय सीमित करें। बाजारों में अधिक भीड़ न हो, इस हेतु उपाय किये जाये। साथ ही सभी व्यवसायिक गतिविधियों में ग्राहकों के मध्य एक मीटर की दूरी रखी जावे।

12 आमजन गैर जरूरी यात्राओं से बचे एवं सार्वजनिक परिवहन यथा बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज में सुरक्षित दूरी बनाकर यात्रा करें। साथ ही संबंधित अधिकारी इनकी सतहों को नियमित तथा उचित रूप से विसंक्रमित (Disinfect) करना सुनिश्चित करें।

13. समस्त चिकित्सा संस्थानों द्वारा कोरोना वायरस से सम्बंधित समस्त प्रोटोकॉल का पालन किया जावे एवं मरीज से मिलने वाले परिजनो, मित्र एवं बच्चों को प्रतिबंधित किया जावे।

14. ऑनलाइन सेवा प्रदाता कम्पनियों में होम डिलेवरी का कार्य करने वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षात्मक उपाय अपनाएं जावे।

15. नोटों एवं पत्रावलियों के पृष्ठ पलटने के लिए पानी के स्पंज का उपयोग किया जावे तथा इसे दैनिक रूप से विसंक्रमित किया जावे।

16 सभी निजी क्षेत्र के कार्यालय/चिकित्सालयों में बायोमेट्रिक्स उपस्थिति बन्द की जावे।

17/03/2020

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांकः– ए.पी.एस./ए.डी./डी.एल.बी./2020/ 989-1193 दिनांकः–18.03.2020

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिकाएँ, समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर तत्काल अवगत करावें।
02. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।

(उज्जवल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

Scanned with CamScanner